न्यायालय उप जिला कलैक्टर, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :–पवन कुमार, आर ए एस

वाद प्रकरण सं.

श्रीमती बिन्द्रकौर पत्नी लालसिहं जाति मजहबी उम्र वर्ष निवासी चक 24 ए एस (सी) तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

..वादीया

बनाम्

1. लालचन्द पुत्र गोविन्दराम जाति नायक निवासी चक 15 एच तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व),अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

––प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 188 आर टी एक्ट

उपस्थिति

1. वादी की ओर से ––– श्री तिलक राज चुघ
2. राज्य पक्ष –– जरिऐ पैरोकार राज.

निर्णय दिनांक – 28.07.21

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि – वादीया बिन्द्र कौर द्वारा वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण लालचन्द बगैरा प्रस्तुत कर कथन किया कि वाके चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.40/45 के किला नम्बर 1ता25 की कुल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला व मुरब्बा सं.41 पत्थर सं.40/53 के किला नम्बर 1ता25 की कुल 5.363 हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कुल 11.688 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी मुश्तरका खाता में करनैलसिहं पुत्र साधुसिहं जाति बावरी निवासी 1 एल एस एम तहसील अनूपगढ के नाम से 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसे आंयदा वाद पत्र में विवादित भूमि कहा जाऐगा । करनैलसिहं पुत्र साधूसिहं के द्वारा अपनी उक्त 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि के बैचान का सौदा मन वादीया के साथ करके पूर्ण प्रतिफल के बदले उक्त विवादित भूमि का बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को वादीया के पक्ष में निष्पादित कर स्वयं उप पंजीयक अनूपगढ़

के समक्ष उपस्थित होकर व उसे सुन समझकर वादीया के पक्ष में पंजीकृत करवा दिया व कब्जा भूमि वादीया को मौका पर बैयनामा दिनांक 16.6.2020 के रोज ही सौपं दिया था वादीया यहां यह स्पष्ट करती है कि विक्रेता करनैलसिहं का अपने सह काश्तकारान के साथ उक्त सयुक्तं खाता की कुल कृषि भूमि का पारस्परिक तौर पर घरेलू बटंवारा हो रखा था जिस घरेलू बटंवारा में विक्रेता करनैलसिहं के धारण एवं कब्जा में चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.40/45 के किला नम्बर 1ता12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मुरब्बा सं.41 पत्थर सं.40/53 के किला नम्बर 2ता10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11ता15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कुल 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कब्जा काश्त में थी तथा वरवक्त बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को विक्रेता करनैलसिहं ने घरेलू बटंवारा अनुसार अपने कब्जा काश्त के उक्त किलाजात का कब्जा मौका पर वादीया को सौपं दिया था तथा अपने नाम की पानी की परची भी वादीया को सौपं दी थी जिस पर तब से लेकर आज रोज तक वादीया का विवादित भूमि पर सदभाविक क्रेता की हैसियत से कब्जा चला आ रहा रहा है तथा वर्तमान में भी वादीया के कब्जा काश्त है। पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.6.2020 के प्रकाश में उक्त विवादित कृषि भूमि के सम्बधं में विक्रेता करनैलसिहं पुत्र साधूसिहं के समस्त प्रकार के हक अधिकार , स्वामित्व अधिपत्य समाप्त होकर समस्त प्रकार के हक अधिकार व अधिपत्य वादीया में निहित हो चुके है तथा वादीया उक्त कृषि भूमि की खातेदार कृषक बन चुकी है तथा वर्तमान में लॉकडाउन के चलते बैयनामा के आधार पर वादीया के नाम इन्तकाल दर्ज नंही हो सकी जिसकी प्रति वादीया ने पटवारी हल्का को प्रदत कर दी जो इन्तकाल की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है प्रतिवादी सं.1 उक्त सयुक्तं खाता की भूमि का सह काश्तकार है जिसे भी वादीया के कब्जा काश्त की भूमि का पूर्ण ज्ञान है चूकिं वादीया औरतजात है तथा उक्त कृषि भूमि को अपने कब्जा काश्त में लेकर अपने निर्देशन में काश्त करवा रही है जिसका वेजा फायदा उठाकर प्रतिवादी सं. 1 वादीया के काश्तकार के कार्य में वेजा दखलन्दाजी पैदा करने लग गया है तथा पिछले दो तीन दिन से वादीया के कब्जा काश्त की मुरब्बा सं.41 पत्थर सं. 40/53 के किला नम्बर 2,3,4,5 की भूमि में वादीया की काश्त में , सिंचाई में दखलन्दाजी करने लग गय तथा एलानिया कहने है कि वादीया वादीया अथवा उसके किसी काश्तकार को उक्त विवादित भूमि के किला नम्बर 2,3,4,5 को काश्त नंही करने देगा जबकि प्रतिवादी सं.1 को ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नंही होता है। प्रतिवादी सं.1 ने अपने उक्त नापाक ईरादे से आज से अरसा दो रोज पूर्व भी वादीया के साथ झगडा किया उसके कृषि कार्य में बाधा पैदा करने लगा और सरेआम व एलानिया धमकी दी है कि किला नम्बर 2,3,4,5 की जमीन को वादीया चुपचाप छोड देवे अन्यथा वह जबरदस्ती वादीया को बेदखल कर अपना कब्जा कर लेगा अगर प्रतिवादी सं.1 अपने उक्त नापाक ईरादे मे कामयाब हो गया

तो इससे वादीया के सवैधानिक अधिकारो का हनन होगा ओर वादीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति पुर्ति मुद्रा की ऐवज में नंही हो सकेगी। इसलिऐ वादीया विवादित कृषि भूमि पर अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिऐ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है ताईद में वादीया ने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं.1 बावजूद तामील समन उपस्थित नंही है जिस पर प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध विधि सम्मत एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए।

वाद पत्र पर एक पक्षीय बहस अन्तिम सुनी गई व वादी द्वारा बहस में वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुऐ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद पत्र के साथ शामिल दस्तावेज व वादी की और से प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा बहस में वाद पत्र के कथनो को दौहराते हुऐ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं वादीया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.40/45 की कुल 6.325 हैक्टर व मुरब्बा सं.41 पत्थर सं. 40/53 ककी कुल 5.363 हैक्टर इस प्रकार कुल 11.688 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला कृषि भूमि खातेदारी मुश्तरका खाता में करनैलसिहं पुत्र साधुसिहं जाति बावरी निवासी 1 एल एस एम तहसील अनूपगढ के नाम से 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसे करनैलसिहं ने जरिऐ पंजीकृत बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को वादीया बैचान कर कब्जा भूमि मौका पर सौपं दिया बैयनामा की प्रति वाद पत्र के साथ वादीया ने शामिल की है जिसका भी अवलोकन किया गया। वादीया के वाद पत्र के कथनानुसार विक्रेता करनैलसिहं का अपने सह काश्तकारान के साथ उक्त सयुक्तं खाता की कुल कृषि भूमि का पारस्परिक तौर पर घरेलू बटंवारा हो रखा था जिस घरेलू बटंवारा में विक्रेता करनैलसिहं के धारण एवं कब्जा में चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं. 40/45 के किला नम्बर 1ता12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मुरब्बा सं. 41 पत्थर सं.40/53 के किला नम्बर 2ता10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11ता15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कुल 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड

मय खाला खातेदारी कब्जा काश्त में थी तथा वरवक्त बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को विक्रेता करनैलसिहं ने घरेलू बटंवारा अनुसार अपने कब्जा काश्त के उक्त किलाजात का कब्जा मौका पर वादीया को सौपं दिया था तथा अपने नाम की पानी की परची भी वादीया को सौपं दी थी जिस पर तब से लेकर आज रोज तक वादीया का विवादित भूमि पर सदभाविक क्रेता की हैसियत से कब्जा चला आ रहा रहा है जिसके समर्थन में वादीया ने दावा के साथ करनैलसिहं के नाम की पानी की पर्ची प्रस्तुत की है जिसका भी अवलोकन किया गया। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से प्रतिवादी सं.1 क्त सयुक्तं खाता की भूमि का सह काश्तकार है चूकिं प्रतिवादी सं.1 बावजूद तामील समन न्यायालय के समक्ष उपस्थित नंही आया और ना ही उसके द्वारा वादीया के वाद पत्र के खण्डन स्वरूप जबाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं.1 को वादीया के कब्जा काश्त की भूमि का पूर्ण ज्ञान है ऐसी स्थिति में अगर प्रतिवादी सं.1 वादीया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करता है तो वादीया को अपुर्णिय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं.1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जानी आवश्यक है।

–आदेश –

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वर्णकौर आदि स्वीकार कर निर्णित एवं डिक्रित किया जाता है व प्रतिवादी सं.1 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी सं.1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.40/45 के किला नम्बर 1ता12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मुरब्बा सं.41 पत्थर सं.40/53 के किला नम्बर 2ता10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11ता15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कुल 5.525 हैक्टर पर वादीया के कब्जा काश्त, उसके उपयोग उपभोग एवं उसके लिऐ प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा मे किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से व्यादेशित रहे

निर्णय आज दिनांक 28.7.21 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उप जिला कलैक्टर,
अनूपगढ़